

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/01/2016-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 09 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	काहन सिंह पन्नू	1996	07.05.2006
2.	अरुणजीत सिंह मिगलानी	2000	04.12.2009
3.	गोपाल कृष्ण सिंह	2001	13.08.2010
4.	चंदर गेंड	2005	11.01.2014
5.	अमर प्रताप सिंह विर्क	2006	11.01.2014
6.	गुरलवलीन सिंह सिद्ध	2006	11.01.2014
7.	अश्वनी कुमार	2006	11.01.2014
8.	रितू अग्रवाल	2006	11.01.2014
9.	सुखविंदर सिंह	2006	11.10.2014
10.	जसकीरण सिंह	2006	11.10.2014
11.	तेजिंदर सिंह धालीवाल	2007	11.10.2014
12.	भूपिंदर सिंह	2007	11.10.2014

राजेश
(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).